भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4513

30 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पायलट योजना

4513. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न के बदले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पायलट योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी क्षेत्रों में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं जहां सरकार ने पायलट योजना पूरी कर ली है या योजना चल रही है;

(ग) देश में डीबीटी पायलट योजना शुरू करने के पीछे तर्क क्या है;

(घ) सरकार को उक्त योजना से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ड.) क्या डीबीटी योजना पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से खाद्यान्नों की खरीद नहीं किए जाने के युग की शुरुआत करने का एक साधन है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): तीन संघ राज्य क्षेत्रों - विभाग द्वारा खाद्यान्न प्रदान करने की योजना के स्थान पर सितंबर, 2015 से चंडीगढ़ और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों और मार्च, 2016 से दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्र - में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बैंक खातों में खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण योजना को पहले से ही पायलट आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इन संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों को खाद्यान्न के स्थान पर नकद अंतरण की सुविधा प्रदान की जा रही है जिससे वे खुले बाजार से अपनी पसंद के खाद्यान्नों को खरीद सकते हैं।

.....2/-

(ग): प्रत्यक्ष अंतरण लाभ (डीबीटी) योजना का उद्देश्य है - (i) खाद्यान्नों के अधिक मात्रा में वास्तविक संचलन को कम करने की आवश्यकता (ii) उपभोग संबंधी अपनी जरूरतों का चयन करने का विकल्प प्रदान करके लाभार्थियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना (iii) आहार में विविधता को बढ़ाना (iv) लीकेज कम करना (v) बेहतर लक्ष्यीकरण को सुविधाजनक बनाना (vi) वित्तीय समावेशन का संवर्धन करना।

(घ): जी, हाँ। चयनित क्षेत्रों में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पायलट योजना में खरीद आनुषंगिकों, हैंडलिंग, भंडारण, संचलन, वितरण और अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय पर कोई लागत नहीं होने के कारण बचत हुई है।

(ड.): खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण संबंधी स्कीम कार्यान्वित की गई है जिसे दिनांक 21.08.2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खुला बाजार से खाद्यान्नों की पात्र मात्रा की खरीद के लिए पात्र परिवारों के बैंक खाते में सीधे ही खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण किया जाता है। इस स्कीम को चिह्नित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा सकता है जो इसके कार्यान्वयन के लिए इसकी तैयारी के संबंध में कुछ शर्तों के पूरा होने अध्यधीन है जैसे संपूर्ण डिजिटलीकरण और लाभार्थी डाटाबेस का डी-डुप्लीकेशन, डिजिटाइज्ड लाभार्थी डाटाबेस में बैंक खाते का विवरण और खुले बाज़ार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता। राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को नियम के तहत चिन्हित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की लिखित सहमति होती है। अत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उचित दर दुकानों के माध्यम से एनएफएसए के प्रावधानों के अनुसार खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण स्कीम अथवा खाद्यान्नों का वितरण जारी रखने का विकल्प है।

******